राजस्थान सरकार

निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग

बीमा भवन, जय सिंह हाईवे, जयपुर–302016

क्रमांक:प.112/कम्प/सिस्टम मिटिंग/2019/2413 to 2463 दिनांक 27-10-22

निर्देश

शासन सचिव वित्त (व्यय) महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 07.10.2022 को चर्चा के अनुक्रम और राज्य बीमा एवं जीपीएफ योजना में लम्बित मृत्यु दावों के प्रकरण में योजना प्रभारियों द्वारा यह तथ्य रखा गया था कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा मृत्यु दावा प्रकरणों को आवश्यक दस्तावेजों के बिना ही सबमिट कर दिया जाता है, जिसके कारण प्रकरणों के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब होता है। अतः शासन सचिव वित्त (वित्त) महोदय द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारियों के लिए आवश्यक कार्यशाला ऑनलाईन आयोजित करने के निर्देश प्राप्त हुए है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में समस्त विभागीय जिलाधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि राज्य बीमा एवं जीपीएफ योजनान्तर्गत मृत्यु दावों के निस्तारण हेतु आपके सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारियों को ऑनलाईन कार्यशाला के माध्यम से दिनांक 15.11.2022 तक आवश्यक रूप से अवगत करवाना सुनिश्चित करें। इस हेतु जनरेट लिंक को सिस्टम अनुभाग, मुख्यालय से साझा करें ताकि तकनीकी रूप से डीडीओ को मार्गदर्शन प्रदान किया जा सकें।

साथ ही भविष्य में आयोजित होने वाली डीडीओ के लिए कार्यशाला में उक्त प्रकरणों के निस्तारण करने हेतु एजेण्डा में समावेश करें।

(कल्पना अग्रवाल)
निदेशक

क्रमांक:प.112/कम्प/सिस्टम मिटिंग/2019/2413 - 2463 दिनांक 27-10-22

प्रतिलिपिः—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निजी सचिव, निदेशक महोदय, राज्य बीमा एंव प्रानि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
2. वरिष्ठ अतिरिक्त/अतिरिक्त निदेशक, बीमा/सिस्टम्स/प्रानि, राज्य बीमा एवं प्रानि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रानि विभाग, समस्त संभाग को प्रेषित कर अनुरोध है कि आपके अधीनस्थ जिला कार्यालयों उपर्युक्त निर्देशों की पालना करवाना सुनिश्चित करें।
4. संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रानि विभाग, समस्त जिला कार्यालय।

(योगमित्र दिनकर)
अतिरिक्त निदेशक, सिस्टम